रा.ल.उ.नि.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबद्ध प्रश्नावली

1.

प्रश्न (क) प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या।

उत्तर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त अनुरोधों की संख्याः 8 (मई, 2008 तक)।

प्रश्न (ख) निर्णयों की संख्या, जहां आवेदन अनुरोध के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंचने के हकदार थे, अधिनियम के उपबंध, जिसके अधीन ये निर्णय लिए गए थे और कितनी बार ऐसे उपबंधों की मांग की गई थी।

उत्तर लागू नहीं।

प्रश्न (ग) केन्द्रीय सूचना आयोग की समीक्षा के लिए भेजी गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों का परिणाम।

उत्तर शून्य

प्रश्न (घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का ब्यौरा।

उत्तर शून्य

प्रश्न (ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक सरकारी प्राधिकारी द्वारा संग्रहित प्रभारों की राशि।

उत्तर इस अधिनियम के अधीन एकत्रित प्रभारों की राशिः 1430/- रुपए

प्रश्न (च) अधिनियम की भावना को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने के लिए ब्यौरा।

उत्तर प्ररूप विकसित किए गए हैं और समरूप अनुप्रयोग के लिए हस्तचालित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरीकों (रा.ल.उ.नि. की वेब के माध्यम से) से स्थापित

किए गए हैं। ऐसी सूचना तक पहुंच प्रयोक्ता/नागरिक अनुकूल हैं और रा.ल.उ.नि. के सभी कार्यालयों को समरूप कार्यविधि का अनुपालन करना होता है। ब्यौरे के लिए कृपया रा.ल.उ.नि. की वेबसाइट www.nsic.co.in देखें।

जहां तक रा.ल.उ.नि. का संबंध है, अधिनियम का कार्यान्वयन और उसकी जागरूकता को विभिन्न फील्ड कार्यालयों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया है और उसे रा.ल.उ.नि. की वेबसाइट में भी प्रदान किया गया है। जिला स्तर पर विभिन्न शाखा कार्यालयों द्वारा आयोजित गहन अभियान और उद्यमी विकास कार्यक्रमों में अधिनियम के बारे में जागरूकता जनता की जानकारी में भी लाई जाती है।

जहां तक रा.ल.उ.नि. का संबंध है, जैसा ऊपर उल्लिखित है, सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित सूचना जिला स्तर पर गहन अभियान/ उद्यमी विकास कार्यक्रम का भाग है।

जहां तक रा.ल.उ.नि. का संबंध है, एक पूर्ण सुरक्षित प्रणाली तैयार की गई है। उक्त प्रणाली के अनुसार, सभी कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों की संख्या, निपटाए गए आवेदनों की संख्या, लंबित आवेदनों की संख्या और उनकी स्थिति से संबंधित सांख्यिकी रखना अपेक्षित है। यह सूचना मासिक आधार पर प्रधान कार्यालय को भी अंतरित की जाती है। केन्द्रीय कार्यालय में अधिनियम के अधीन सूचना प्रदान करने से संबंधित अनुवीक्षण और विशेषकर लंबित आवेदनों का बारीकी से अनुवीक्षण किया जाता है।

प्रश्न (छ) विकास, सुधार, आधुनिकीकरण अधिनियम अथवा अन्य विधान या साझा कानून के संशोधन के लिए सुधार अथवा सूचना तक पहुंच का अधिकार प्रचालनरत करने के लिए संगत अन्य कोई मामले सहित अपेक्षित सुधारों के लिए उचित सुझाव।

उत्तर हम महसूस करते हैं कि केन्द्रीय सूचना आयोग के स्तर पर एक समिति गठित की जानी चाहिए जो कतिपय दिशानिर्देश प्रदान कर सकती है, ताकि सूचना की ऐसी कोई मांग, जो तुच्छ हैं, को सरसरी तौर पर अस्वीकृत किया जा सके। यह अधिनियम का प्रभावी तौर पर कार्यान्वयन भी सुदृढ़ करेगा।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अधीन रा.ल.उ.नि. ने नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए तत्काल व्यवस्था की है। इसके सभी

कार्यालयों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के साथ जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नियमपुस्तिकाओं के रूप में विस्तृत दिशानिर्देश रा.ल.उ.नि. के सभी कार्यालयों को प्रदान किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना मांगने वाली जनता से सादे कागज पर अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके के माध्यम से आवेदन स्वीकार करने के लिए विशेष दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं . रा.ल.उ.नि. ने देश में कहीं से भी अपने खाते में फीस प्रभार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने की भी सुविधा सृजित की है। इसके अतिरिक्त सभी संगत सूचना रा.ल.उ.नि. की वेब साइट www.nsic.co.in पर भी रखी गई है।

रा.ल.उ.नि. ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन तत्काल सूचना प्रदान करने के लिए फील्ड कार्यालयों को समान रूप से सुदृढ़ किया है। प्रत्येक फील्ड कार्यालय में सक्षम रूप से और तत्काल आवेदनों पर कार्यवाही करने कि लिए अपीलीय प्राधिकारी के साथ जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी हैं।